निदेशालय पंचायतीराज
उत्तराखण्ड,देहरादून।
संख्या–554-A/1–पं0/स्था0/2018–19,
देहरादून दिनांक 8/6/2018

स्थानान्तरण– आदेश

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12 /XXXVI(3) /2018 / 20 (1)/2017,दिनांक 5 जनवरी,2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (संख्या–01,वर्ष 2018) के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर पंचायतराज विभाग,उत्तराखण्ड के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र में स्थित स्थान/जनपद में कार्यरत निम्न तालिका में उल्लिखित सहायक लेखाकार को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ–04 में उल्लिखित स्थल/जनपद में दिनांक 30 जून, 2018 की रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद का नाम	स्थानान्तरित जिले का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार/स्थानान्तरण से सम्बन्धित धारा स्थानान्तरण की प्रक्रिया।
(	02	03	04	05
1	श्री कुलवीर सिंह नेगी	पौड़ी गढवाल	हरिद्वार	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा – 6(क), धारा –10(क) /दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत्।

(2)– उक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक लेखाकार आदेश प्रभावी तिथि 30.6.2018 के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। जिला पंचायत राज अधिकारी उक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक लेखाकार को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(3)– उक्तानुसार अवमुक्त होने वाले सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि **(Joining time)** का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरांत मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि **(Journey time)**का ही उपभोग कर सकेगें।

(4)– उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(5)– सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसके विरूद्व वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एच0 सी0 सेमवाल)
निदेशक

संख्या–554-A/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रस्तुत एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संबंधित कार्मिक द्वारा संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी।
2–संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी।
3–संबंधित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–22(1) के आलोक में इस आशय के साथ कि आदेश प्रभावी तिथि 30.6.2018 के 07 दिन के पश्चात् उक्त संबंधित स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहरित नही किया जायेगा।
4–संबंधित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
5–संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
6–गार्ड फाईल/व्यक्तिगत पत्रावली।

(एच0 सी0 सेमवाल)
निदेशक